



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2011/ज्येष्ठ 2, 1933

No. 263]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2011/JYAISTHA 2, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2011

सा.का.नि. 396(अ).—केन्द्र सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIII में आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, नामतः :—

1. अनुसूची-XIII, भाग II, खण्ड 2 में :—

(i) उप-पैरा (ग) में चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, नामतः :—

“बशर्ते कि किसी सूचीबद्ध कंपनी की समनुषंगी कम्पनी के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है, यदि—

- नियंत्रक कम्पनी की पारिश्रमिक समिति और निदेशक मंडल आवेदक के पारिश्रमिक की राशि के लिए तथा उस राशि को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के प्रयोजनार्थ नियंत्रक कंपनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक मानने के लिए स्वीकृति दे;
- आवेदक का पारिश्रमिक आम बैठक में नियंत्रक कम्पनी द्वारा अनुमोदित किया जाए;
- यदि आवेदक का पारिश्रमिक नियंत्रक कंपनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक माना जाए; तथा
- समनुषंगी कम्पनी के सभी सदस्य कॉर्पोरेट निकाय हों।

बशर्ते कि यदि पारिश्रमिक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा नियत किया गया हो तो किसी सूचीबद्ध कंपनी अथवा सूचीबद्ध कम्पनी की समनुषंगी कंपनी द्वारा अपने प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं होगा।”

- ये प्रावधान शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 14/3/2011-सीएल-VII]

जे. एन. टिक्कू, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2011

G.S.R. 396(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule-XIII of the Companies Act, 1956, namely :—

- In Schedule-XIII, in Part II, in Section 2—

(i) in sub-para (C), after fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that approval of the Central Government is not required for a subsidiary of a listed company, if—

1. the Remuneration Committee and Board of Directors of the Holding Company give their consent for the amount of remuneration of the applicant and for the said amount to be deemed as remuneration paid by the Holding Company for the purpose of Section 198 of the Companies Act, 1956;
2. the remuneration of the applicant is approved by the Holding Company in the general meeting;
3. if the remuneration of the applicant is deemed to be remuneration paid by the Holding Company; and
4. all the members of the subsidiary are bodies corporate.

Provided that a listed company or a subsidiary of a listed company shall not require Central Government approval for payment of remuneration to its managerial personnel, if the remuneration is fixed by Board of Industrial and Financial Reconstruction.”

2. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 14/3/2011-CL. VII]

J. N. TIKKU, Jt. Director